182

5391
11/7/12

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No. F.9(1)Van/2012 Jaipur, dated : July 9, 2012

To,
Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Rajasthan, Jaipur.

Sub: Participation of Private Sector through involvement of NGOs and Forest Department in afforestation/rehabilitation of degraded forest.

PCCF (TREE)
10/7/12

Sir,

In reference to above subject and the draft tri-partite MoU submitted by your office on even number administrative department's file has been vetted by the Law Department. I am directed to enclose the copy of the vetted draft and convey you the administrative approval on it. You are requested to give wide publicity to this so that the plantation progrmame according to the tri-partite MoU is implemented in an effective way by the department.

APCCF (D)
12/7

Yours faithfully,

Encl: As above.

(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forests

13/7/12
CCF (EGS)

PA/PCCF/TREE/3725
13.7.2012

686/PA/APCCF(Dev.)
13-7-12

13/7

uploaded

CCF (EGS) 13/7/12
DA

Vetted
OU
29.6.12

183

करार

यह करार एक पक्ष के रूप में .... (उद्यमी / निजी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी का नाम) की ओर से.. (अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम) (जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में ....(ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का नाम) जो कि वन विभाग में रजिस्टर्ड सोसायटी हैं, की ओर से .... (अध्यक्ष का नाम) जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है), और तीसरे पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से.. (संबंधित उप वन संरक्षक का नाम एवं पदनाम) (जिन्हें इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया है) के मध्य आज दिनांक ....को किया गया है। यह कि प्रथम पक्ष निम्न वर्णित वन भूमि, जिस पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, पर वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य हेतु व्यय होने वाली समस्त राशि राज्य सरकार के राज्य केम्पा फण्ड में जमा करवाने हेतु सहमत है एवं द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित वन भूमि, पर राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण योजना के अनुरूप वृक्षारोपण, विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य करने हेतु सहमत है। राज्य सरकार तृतीय पक्ष निम्न वर्णित वन भूमि, पर वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने एवं उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु सहमत है।

वन भूमि का वर्णन

नाम जिला .... मण्डल.......................................रेंज................नाका.......................
बीट.............................वंन खण्ड कम्पार्टमेंट..............................क्षेत्रफल..................................
सीमांकन................................उत्तर ....पूर्व ....
दक्षिण..पश्चिम..

अधिप्रमाणित
(हस्ताक्षर) 28/6/12
शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :–

संधारण

1. प्रथम पक्ष वृक्षारोपण एवं कार्य हेतु व्यय होने वाली समस्त राशि राज्य सरकार के राज्य केम्पा फण्ड में जमा करवायेगा।

2. प्रथम पक्ष जिस वन भूमि विशेष पर कार्य करवाने हेतु राशि उपलब्ध करायेगा उसी वन भूमि विशेष पर ही राज्य सरकार कार्य करवायेगी।

3. प्रथम पक्ष द्वारा जमा करवायी गई राशि वन विभाग के वृक्षारोपण संबंधी जारी मॉडल्स एवं नाम्र्स के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा वर्षवार खर्च की जावेगी।

4. वृक्षारोपण कार्य वन विभाग के मॉडल के अनुरूप करवाये जाने पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा प्रथम पक्ष का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह इस संबंध में कोई आपत्ति कर दी गई राशि की वापस मांग कर सके।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा वृक्षारोपण साईट्स पर केवल स्थानीय प्रजातियों का पौधारोपण करवाया जायेगा।

6. उक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं वन विकास के अतिरिक्त कोई गैरवानिकी कार्य नहीं किया जावेगा।

7. वृक्षारोपण, उसका विकास एवं सुरक्षा का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा इस करार के हस्ताक्षरित होने के बाद वृक्षारोपण वर्ष से आगामी 4 वर्षो तक किया जावेगा।

8. प्रथम पक्षकार का वन भूमि एवं वृक्षारोपण से प्राप्त वन उपज पर कोई स्वामित्व नहीं होगा।

9. वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं विकास संबंधी समस्त कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं करवाये जायेंगे, उक्त कार्य किसी अन्य ऐजेंसी / संस्था के माध्यम से नहीं कराये जायेंगे।

10. वृक्षारोपण क्रियान्वयन, देखभाल, प्रबन्ध, सुरक्षा एवं विकास की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

अधिप्रमाणित

25/6/12

शासन सचिव

वन विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

11. वृक्षारोपण स्थलों से प्राप्त होने वाली लघु वन उपजों पर प्रथम पक्ष का कोई स्वामित्व नहीं होगा।

12. तृतीय पक्ष वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा एवं उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

13. वृक्षारोपण साईट पर साईन बोर्ड लगवाये जायेगें जिस पर प्रथम पक्षकार का भी विवरण अंकित किया जायेगा।

14. यह करार हस्ताक्षरित होने की दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

15. करार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामला संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पास निर्णय हेतु भेजा जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम)
प्रथम् पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष का नाम)
द्वितीय पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर

(उप वन संरक्षक का नाम)
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

हस्ताक्षर

गवाह

1.

2.

3.

अतिरिक्त

शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर